Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 09-03-2006
Participants : Singh Shri Prabhunath,Lalu Prasad Shri

p>

Title : Regarding Final Report of the High Level Committee constituted under the Chairmanship of Justice U.C. Banerjee on the incident of fire in a Coach of 9166 Sabarmati Express near Godhra Station.

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे के गोधरा स्टेशन के निकट ट्रेन नं. 9166 अप साबरमती एक्सप्रेस में दिनांक 27.02.2002 को आग लगने की घटना के कारण 59 जानें गईं और 24 घायल हुये एवं रेलवे परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचा। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त के द्वारा वैधानिक जांच नहीं की गई। सच्चाई की तह में जाने, आग लगने की घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने और उससे जुड़े तत्संबंधी मामलों का पता लगाने के लिये यूपीए सरकार ने रेल मंत्रालय की दिनांक 4.9.2004 की अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति को अपना कार्य सुचारू रूप से निपादित करने में सक्षम बनाने के दृटिकोण से दिनांक 2.12.2005 की अधिसूचना के तहत समिति को जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय, उच्चस्तरीय समिति ने 17.1.2005 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसे मैं संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त उच्चस्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 3.3.2006 को रेल मंत्रालय को सौंप दी है। श्री नीलकंठ तुलसीदास भाटिया के द्वारा दायर विशेा सिविल याचिका सं 16500/2005 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.10.2005 को आदेश दिया था कि यदि उच्चस्तरीय समिति कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो न्यायालय की अनुमति के बिना रेल मंत्रालय द्वारा उसे क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। माननीय सांसदों ने दिनांक 6.3.2006 को बनर्जी समिति की रिपोर्ट सभापटल पर रखे जाने की जोरदार मांग की थी। इसी आलोक में दिनांक 7.3.2006 को माननीय गुजरात हाईकोर्ट की एकलपीठ से अनुरोध किया गया था कि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये लेकिन इसकी भी स्वीकृति नहीं दी गई। माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने दिनांक 7.3.2006 को पुन: आदेश दिया कि दिनांक

*** (Placed in Library, See No. LT 3835/2006).**

3.4.2006 से शुरु होने वाले सप्ताह में की जाने जाने वाली अंतिम सुनवाई तक जस्टिस बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट का प्रचार नहीं किया जाएगा और न रेल प्रशासन या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। एकलपीठ के दिनांक 7.3.2006 के इस आदेश के विरुद्ध माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील दायर की गई है जो विचाराधीन है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विाय पर अपना भााण नहीं दे रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमेटी गठित की गई है, उसकी वैधता को चुनौती और उसका निर्णय आना बाकी है। अगर रेल मंत्री जी को रेल दुर्घटना की जानकारी देनी है, तो डी.आर.एम. और आर.पी.एफ. के कमांडेंट का प्रतिवेदन रेल मंत्रालय में आ चुका है, इसलिये उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना चाहिये, तथा राजनैतिक आडम्बर के तहत रेल मंत्री के द्वारा इस सदन को गुमराह करने वाला बयान नहीं देना चाहिये...(व्य ÉvÉÉxÉ[RB20][RB19]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, मंत्री जी ने कोर्ट के आर्डर के मुताबिक स्टेटमैंट दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोर्ट के आर्डर के मुताबिक स्टेटमैंट दिया है।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Now, we shall take up Item No.8. Shri Sushil Kumar Shinde to make a statement.